

संजीता एर सीजी प्रा.पत्र 212 RACV

61/24

13⁰¹/₂₅

आज पत्रावली प्रा.पत्र के प्रा.पत्र पर मूल वाद के समय
कार्यालय से तलब हुई, प्रा.पत्र के प्रा.पत्र पर मूल वाद
को सिद्ध किया जा चुका है, अतः अब हम पत्रावली से
अप्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः प्रा.पत्र
212 RACV ब-दिनांक 01/12/24 को जारी अंतिम
आदेश निर्धारण खालि की जाती है, पत्रावली के
शुभार दीकर कार्यालय स्थित है।

नि. सं. 10/17
9
13/01/25

(इ. ग. प्रसाद शर्मा)
01/12/24 (दिनांक)
(अ. प्र. प्र. कलक्टर)
राजस्थान सरकार
नगर (डी. ग.) राज. 0